

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
सं०.73/2020- सीमा शुल्क (गै.टे.)


नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 2020

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मै से संदेन विकास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 65, सैक्टर- 27A, फ़रीदाबाद, हरियाणा- 121003	डिमांड कम कारण बताओ नोटिस 12/Commr/PBA-3/2020 दिनांक 23.07.2020, C.No. VIII/Cus-Audit/OSPCA/SVIL/APR No. 3/59/2019/495 दिनांक dated 23.07.2020 के अंतर्गत जारी	(i) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, एसीसी आयात, न्यू कस्टम हाउस, नियर IGI एयरपोर्ट, नई दिल्ली	आयुक्त, सीमाशुल्क आईसीडी- पतपड़गंज, गाजीपुर, दिल्ली
		(ii) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, कोनकोर कॉम्प्लेक्स, पी. ओ. कंटेनर डिपो, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	
		(iii) आयुक्त, सीमाशुल्क आईसीडी- पतपड़गंज, गाजीपुर, दिल्ली	
		(iv) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क आईसीडी- तुगलकाबाद, दिल्ली	
		(v) आयुक्त, सीमाशुल्क NS-V, कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, ताल- उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र	
		(vi) सहायक/ उप आयुक्त, सीमाशुल्क (सी पोर्ट), चेन्नई-II, कस्टम हाउस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई	

[फा° सं° 437/2/2020- सीमाशुल्क IV]


(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)